ए-65061(55)/60/2020-एडमिन-सीजीए /१०९
भारत सरकार
व्यय विभाग
महालेखा नियंत्रक कार्यालय
दूसरी मंजिल, महालेखा नियंत्रक भवन
जीपीओए कॉम्प्लेक्स, ई-ब्लॉक आईएनए, नई दिल्ली-110023

दिनांक 17 अप्रैल, 2025

परिपत्र

विषय: - महालेखा नियंत्रक कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर हिंदी अनुवादकों की नियुक्ति के लिए पैनल तैयार करना।

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने हिंदी अनुवादकों के लिए एक पैनल तैयार करने का निर्णय लिया गया है। वे व्यक्ति जिन्होंने उप निदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा), वरिष्ठ अनुवादक/अनुवादक के रूप में काम किया है और भारत सरकार या भारत सरकार के किसी भी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय के राजभाषा विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं, राजभाषा अनुवादक पैनल में शामिल होने के लिए पात्र हैं। पैनल में शामिल किए जाने का विवरण अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है। विभाग की आवश्यकता के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

2. राजभाषा अनुवादकों का पैनल महालेखा नियंत्रक कार्यालय में हिंदी अनुवादकों को नियुक्त करने संबंधी दिशानिर्देशों की शर्त के अधीन बनाया जाएगा। उक्त पैनल बनाने के लिए दिशानिर्देशों की एक प्रति अनुलग्नक III में संलग्न है।

3. इच्छुक और पात्र आवेदक अपना विवरण सीवी और संबंधित दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक-II के प्रारूप में भरकर" वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन) कमरा नंबर 203, दूसरी मंजिल , महालेखा नियंत्रक कार्यालय, महालेखा नियंत्रक भवन, जीपीओए कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ई, आईएनए, नई दिल्ली-110023 को इस कार्यालय ज्ञापन के जारी किये जाने के 30 (तीस) दिन के भीतर तक जमा कर सकते हैं।

4. वित्त मंत्रालय, महालेखा नियंत्रक कार्यालय, किसी भी आवेदन को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(संलग्न : उपरोक्तानुसार)

(सतीश के. जाधव)

संयुक्त महालेखा नियंत्रक (प्रशासन)

सेवा में:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. पीएओ (बीओसी), डीएवीपी, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, विज्ञापन हेतु।
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (जीआईएफएमआईएस) को सीजीए की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

अनुबध- I

1.	पैनल में कार्मिकों की संख्या	10 सदस्य
2.	पैनल का कार्यकाल	प्रारम्भ में यह अवधि 3 वर्ष की होगी। कार्यात्मक आवश्यकताओं तथा कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के अधीन इसे आगे 2 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।
3.	आयु सीमा	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4.	पारिश्रमिक	राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिनांक 24 जुलाई 2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 1 रुपया प्रति शब्द (लागू कर सहित)।
5.	कार्य स्थल	महालेखा नियंत्रक कार्यालय, महालेखा नियंत्रक भवन, ब्लॉक-ई, जीपीओ कॉम्प्लेक्स आईएनए, नई दिल्ली-110023

अनुबध- II

राजभाषा हिन्दी अनुवादक पैनल में शामिल किए जाने के लिए आवेदन पत्र

I. व्यक्तिगत विवरण:

1.	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	पिता/पति का नाम	
3.	जन्म तिथि	
4.	राष्ट्रीयता	
5.	स्थायी पता	
6.	ई-मेल (बड़े अक्षरों में)	
7.	मोबाइल नंबर	
8.	सेवानिवृत्ति से पूर्व सरकारी सेवा में अंतिम पद तथा संगठन का नाम (पीपीओ की प्रति सहित)	
9.	अंतिम धारित पद का वेतन लेवल/ग्रेड वेतन	

II. व्यावसायिक अनुभव: (कृपया स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)

क्र.सं.	संगठन का नाम	धारित पद (सेवानिवृत्ति से पहले)	सेवानिवृत्ति के बाद का अनुभव	सेवा की अवधि

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त विवरण सत्य हैं और मुझे पता है कि पैनल में शामिल किए जाने के बाद यदि यह घोषणा गलत पाई जाती है तो मुझे पैनल से निकाल दिया जाएगा।

दिनांक सहित हस्ताक्षर

महालेखा नियंत्रक कार्यालय में हिंदी अनुवादकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश।

1. पात्रता:

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उप निदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा), वरिष्ठ अनुवादक/अनुवादक के रूप में काम किया हो और भारत सरकार के किसी भी संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय के राजभाषा स्कंध से सेवानिवृत्त हुए हों, **राजभाषा अनुवादक पैनल में शामिल होने के लिए पात्र हैं।**

1.2 उम्मीदवारों को लेखा/वित्त संबंधी अनुवाद कार्य में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और वह वित्त/लेखा विषयों में उपयोग की जाने वाली शब्दावली सेभलीभांति परिचित हों। पिछले कार्यालय के वार्षिक प्रगति मूल्यांकन रिपोर्ट,(एपीएआर)/प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज़ स्वीकार्य होंगे।

1.3 कंप्यूटर अनुप्रयोगों जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल आदि का बुनियादी ज्ञान।

1.4 अभ्यर्थी को अपने अंतिम सेवारत कार्यालय से जारी सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र देना होगा।

2. आयु सीमा:

2.1 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. पारिश्रमिक:

राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिनांक 24 जुलाई 2018 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार प्रति **1 रुपये** शब्द **(लागू करों सहित)** की मानक अनुमोदित दरें।

3.2 अनुबंध की अवधि के दौरान पारिश्रमिक में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी।

3.3 पैनल में शामिल किए गए व्यक्ति किसी भी भत्ते जैसे कि एचआरए, आवासीय सुविधा, सीजीएचएस, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि के हकदार नहीं होंगे।

4: तैनाती।

4.1 इस कार्यालय में पैनल के सदस्य की सेवा आवश्यकता के आधार पर ली जाएगी।

4.2 हिंदी अनुवादकों के पैनल में शामिल होने से मंत्रालय/संगठन में नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं मिलेगा।

5. नियुक्ति प्रक्रिया:

5.1 प्राप्त आवेदनों की जांच की जाएगी तथा पात्र आवेदकों को परीक्षण के बाद साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

5.2 एक बेसिक परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें दिए गए पाठ का अनुवाद और टाइपिंग करना होगा।

5.3 मंत्रालय/विभाग को हिंदी अनुवादक के पैनल के लिए जारी विज्ञापन को रद्द करने और हिंदी अनुवादक के पैनल बनाने हेतु आगे कार्रवाई न करने, किसी भी स्तर पर बिना कोई स्पष्टीकरण दिए किसी भी या सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार है।

5.4 अंकन मॉडल:

क्रम सं.	मानदंड	अंक
क	सेवा की अवधि	**40**
	20 वर्ष	25
	20-25 वर्षों तक	30
	25-30 वर्षों तक	35
	30 वर्ष से अधिक के लिए	40
ख	लेखा/वित्त में अनुभव	**20**
ग	कंप्यूटर ज्ञान	**10**

घ	साक्षात्कार	30

कुल अंक: 100

6. **नियम एवं शर्तें:**

6.1 अनुवादकों को यह कार्य पूर्णतः "गोपनीय" रखना होगा।

6.2 कुछ अनुवाद कार्य महालेखा नियंत्रक कार्यालय के निर्दिष्ट कक्ष में, उचित गोपनीयता का पालन करते हुए, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में भी करना होगा।

6.3 सामग्री का अनुवाद इस प्रकार होना चाहिए कि उसका अंतर्निहित अर्थ अंग्रेजी संस्करण के समान ही रहे।

6.4 अनुवादकों को सौंपा गया कार्य उन्हें स्वयं करना होगा वे इस कार्य को आगे ठेके पर नहीं दे सकते ।

7. सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी:

7.1 यह नियुक्ति पैनेलिस्ट/अनुवादकों की पेंशन पात्रता और प्राप्त लाभों से अलग होगी।

7.2 नियुक्ति को पुनर्नियोजन का मामला नहीं माना जाएगा।

8. **कार्य समय:**

8.1 अनुवादकों को सामान्य कार्यालय समय पर उपस्थित होना होगा तथा अत्यावश्यक होने पर उन्हें शनिवार, रविवार या किसी अवकाश के दिन भी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है।

9. **डेटा और दस्तावेजों की गोपनीयता:**

9.1 अनुवादक अपने कार्य संबंधी जानकारी की पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे। पैनल की समाप्ति के बाद भी गोपनीयता बनाए रखनी होगी।

9.2 कोई भी अनुवादक, विभाग/संगठन की लिखित अनुमति के बिना, इस कार्य के लिए या कार्य के दौरान विभाग/संगठन के लिए एकत्रित किए गए डेटा या सांख्यिकी या कार्यवाही या सूचना के किसी भी भाग को किसी तीसरे पक्ष के उपयोग, प्रकाशन, या व्याख्या के लिए उपलब्ध नहीं कराएगा।

10. **समाप्ति:**

10.1मंत्रालय किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिए और बिना कोई कारण बताए अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार रखता है। कुछ परिस्थितियाँ जिनके तहत मंत्रालय अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है, निम्नलिखित है:-

(i) यदि अनुवादक निर्धारित समय में सौंपे गए कार्य को पूरा करने में असमर्थ हो।

(ii) सौंपे गए कार्य की गुणवत्ता अधिकारी/विभाग की संतुष्टि के अनुरूप नहीं हो।

(iii) परामर्शदाता में ईमानदारी एवं निष्ठा का अभाव पाया गया हो।

व्याख्या खंड:

12.1 किसी भी दिशा-निर्देश की व्याख्या करने या इन दिशा-निर्देशों से उत्पन्न किसी विवाद को निपटाने की शक्ति सीजीए कार्यालय के पास होगी, जिसका निर्णय अंतिम होगा और अनुवादकों पर बाध्यकारी होगा।